संख्या- 20 /2017/ डी-516/38-2-2017-57डब्लू(डी)/2008

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2017**

विषय :- जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती के कनिष्ठ लिपिक/टंकक हेतु समयमान वेतनमान पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1500/स्था0-5/अभि0/2017, दिनांक 04-07-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समयमान वेतनमान की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-डी-799/38-2-2005-2(27)डी/98, दिनांक 11 अगस्त, 2005 में उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनको एक पद पर 08 वर्ष अनवरत सन्तोषजनक सेवा दिनांक 01-01-1996 अथवा इसके बाद की तिथि को पूर्ण करने पर सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य हो चुका है, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 06 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान है। उक्त शासनादेश दिनांक 11-08-2005 के प्रस्तर-6 में कनिष्ठ लिपिक/टंकक (वेतनमान रू0 3050-4590) को समयमान वेतनमान की उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रथम पदोन्नति वेतनमान रू0 4000-6000 के स्थान पर रूपये 5000-8000 अनुमन्य कराये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- शासनादेश संख्या-डी-799/38-2-2005-2(27)डी/98, दिनांक 11 अगस्त, 2005 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- यह आदेश वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-874 /दस-2017, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2017/डी-516(1)/38-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

3- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।

7- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।